कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

का0–0135–2714074:फैक्स–0135–2651060: ई–मेल–nagarnigam.ddn@gmail.com

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम, **देहरादून** की सीमा के अन्तर्गत श्वान (कुत्तों) के लाइसेंस शुल्क से सम्बन्धित उपविधियों का प्राख्यापन व प्रवर्तन प्रस्तावित है :–

1- यह उपविधि **नगर निगम, देहरादून श्वान लाईसेंस उपविधि 2025 कहलायेगी।**

2- यह उपविधि सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

3- **परिभाषायें:-**

I. "नगर निगम" से तात्पर्य नगर निगम, देहरादून व उसकी सीमा से है।

II. "नगर आयुक्त" से तात्पर्य नगर निगम, देहरादून के नगर आयुक्त से है।

III. "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश, नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) से है।

IV. "ए०बी०सी०" से तात्पर्य एनिमल बर्थ कंट्रोल केंद्र से है।

V. "शेल्टर हाउस" से जहाँ श्वान पशुओं को अस्थायी या स्थायी आधार पर रखा जाता है।

VI. "बोर्डिंग केनेल संचालक" में वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह शामिल है जो पालतू पशुओं/पक्षियों को केनेल या किसी अन्य प्रतिष्ठान में अस्थायी आवास के लिए शुल्क के आधार पर रखते हैं।

VII. "पालतू पशु" में कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, गिनी पिग, हम्सटर, चूहे या चूहे श्रेणी के कृंतक, पालतू पक्षी और ऐसे अन्य प्रकार के पशु शामिल हैं, जिनका स्वामित्व और व्यापार किसी अन्य कानून, नियम या विनियमों द्वारा निषिद्ध नहीं है।

VIII. "स्वामी" से तात्पर्य केवल स्वामी से ही नहीं, बल्कि वर्तमान में मौजूद अभिरक्षा या किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में पशु में से भी है।

IX. "डॉग" से देसी/विदेशी नस्ल वाले श्वान/कुत्ते जिनमें पिल्ले भी शामिल हैं।

X. " ब्रिड़िग श्रेणी/ ब्रीडर्स से तात्पर्य वह व्यक्ति या व्यक्तियों जो श्वान पशुओं से प्रजनन करवाने उनसे बच्चे पैदा करवाने तथा व्यापार करने से है।

XI. " घरेलू /नॉन ब्रीडिंग श्रेणी से तात्पर्य श्वान पशुओं से व्यापार न करने हेतु है।

XII. "रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र" से इन नियमों के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र है।

XIII. "राज्य बोर्ड" से राज्य सरकार द्वारा राज्य में गठित राज्य पशु कल्याण बोर्ड है ।

XIV. ब्रीडर/"प्रजनक" से ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से है जो कुत्तों और पिल्लों के प्रजनन और बिक्री के लिए विशिष्ट नस्लों के कुत्तों का स्वामी है, और इसमें बोर्डिंग केनेल संचालक, मध्यवर्ती संचालक और व्यापारी शामिल हैं।

XV. "व्यापारी" से वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह शामिल है जो किसी प्रजनक या पालतू जानवरों की दुकान से, या अपने स्वयं के प्रजनन केंद्र से प्राप्त कुत्तों और पिल्लों को बेचता है, या बिक्री के लिए आयातित करता है, या किसी अन्य तरीके से प्राप्त करता है।

XVI. "पेट शॉप" से कोई दुकान, स्थान या परिसर, स्थान या परिसर शामिल है, जहाँ पालतू पशुओं को बिक्री के लिए रखा या प्रदर्शित किया जाता है अथवा पालतु पशु हेतु खाद्य सामग्री एवं उपयोग में आने वाले विभिन्न सामान का व्यापार किया जाता है।

XVII. "पंजीकरण" से तात्पर्य नगर निगम से लाइसेंस प्राप्त करना।

Received
15/12/25

4- प्रत्येक पालतू श्वान (कुत्ता) जिसकी आयु तीन माह अथवा इससे अधिक हो का नगर निगम, देहरादून की सीमा के अंदर रखने/पालने (घर के परिसर में) पर इसका पंजीकरण नगर निगम, कार्यालय में कराना आवश्यक होगा, जो पंजीकरण/नवीनीकरण की तिथि से एक वर्ष तक वैध रहेगा। बिना पंजीकरण अगर कोई श्वान (कुत्ता) पालता है तो ***परिशिष्ट-02 के अनुरूप*** जुर्माने के साथ उनके पालतू श्वान पशु को जब्त करने की कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। पंजीकरण/लाईसेंस के वैध रहने के दौरान यदि श्वान का एन्टी रेबीज वैक्सीनेशन की वैधता समाप्त हो जाती है तो लाईसेंस स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

5- पालतू श्वानों के पंजीकरण हेतु किसी पंजीकृत पशु चिकित्सक द्वारा निर्गत एण्टी रेबीज टीकाकरण प्रमाण-पत्र तथा बन्ध्यकरण प्रमाण-पत्र (केवल अति आक्रामक श्वान पशुओं हेतु) होना अनिवार्य होगा।

6- कोई भी श्वान स्वामी अपने पालतु श्वान को खुले में ना ही शौच करायेगा ना ही सार्वजनिक स्थलों/पार्कों आदि स्थान पर। यदि ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो ***परिशिष्ट-02 के अनुरूप*** चालानी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

7- कोई भी श्वानस्वामी अपने पालतु श्वान को स्वयं या केयरटेकर की निगरानी के बिना घर के बाहर नहीं ले जायेगा तथा पट्टा, मजल एवं चैन के साथ ही सार्वजनिक स्थलों/पार्कों में ले जा सकेगा। अन्य सामान्य लोगों के द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर सुझाव देने एवं सामान्यजन में डर का माहौल होने पर अपने श्वान पशु को अलग करेगा। यदि ऐसा करता हुआ न पाया गया तो ***परिशिष्ट-02 के अनुरूप*** चालानी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

8- निम्नलिखित तालिका के अनुसार श्वान पशु का पंजीकरण कराया जा सकेगा:

क्र.सं.	श्वान पशु की संख्या /प्रति श्रेणी	आवासीय क्षेत्र का क्षेत्रफल (वर्ग गज में)
1	01 अति आक्रामक श्रेणी	300
2	02 सामान्य श्वान श्रेणी	200
3	04 सामान्य श्वान श्रेणी	300
4	05 या 05 से अधिक श्वान श्रेणी	श्वान पशु शेल्टर के प्रावधान लागू होंगे। **Annexure-A,** (उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड)

I. पाँच या पाँच से अधिक श्वान पालने पर **प्राइवेट श्वान पशु शेल्टर** (जो स्वतः अपने धन से अथवा दान के धन से चल रहा है और सरकार की फंडिंग पर नहीं) के प्रावधान लागू होंगे ।

II. प्राइवेट श्वान पशु शेल्टर एक निश्चित क्षेत्र में होगा तथा वहाँ पर्यवेक्षण एवं पर्याप्त देखभाल की सुविधा होगी। प्राइवेट श्वान पशु शेल्टर की सूचना अनिवार्यतः नगर निगम को उपलब्ध करायी जायेगी।

III. प्राइवेट श्वान पशु शेल्टर में प्रत्येक एक वर्ष में लाइसेंस का नवीनीकरण किया जायेगा। जिसका निर्धारित शुल्क एक हजार प्रतिवर्ष नगर निगम को देय होगा। नगर निगम के प्राधिकृत अधिकारी समय -समय पर लाइसेंस का निरीक्षण करेंगे।

IV. पाँच श्वान पशुओं से अधिक श्वानों की सेवा करने हेतु उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड से प्राइवेट श्वान पशु शेल्टर की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा तथा माननीय न्यायालयों द्वारा समय.समय पर पारित आदेशों व अधिनियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

V. प्राइवेट श्वान पशु शेल्टर यदि किसी आवासीय क्षेत्र के निकट स्थित होगा तो निकट के आवासियों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना अनिवार्य होगा तथा उसमें पशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सभी प्रावधान पूर्ण करने होगें।

9- नगर निगम सीमान्तर्गत किसी घायल/असहाय/रोगग्रस्त निराश्रित देशी श्वान को शरण देते हुए सेवा हेतु अनुमन्यता निम्नलिखित तालिका के अनुसार होगी:

क्र०सं०	आवासीय कॉलोनियों/परिसरों/सोसाइटी में घायल/असहाय/रोगग्रस्त **निराश्रित** देशी श्वानों को शरण देते हुए सेवा हेतु अनुमन्यता	
1	निराश्रित श्वानों की संख्या	अनिवार्यता
2	04	लाईसेंस लेना अनिवार्य नहीं होगा।
3	05 या 05 से अधिक	श्वान पशु शेल्टर के प्रावधान लागू होंगे।

10- ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जो श्वान (कुत्ते) के स्वामी हो वो एस०पी०सी०ए०/भारत सरकार/राज्य सरकार/मा० न्यायालय/किसी न्यायधीकरण द्वारा समय-समय पर जारी आदेश और निर्णय का भी पालन करना अनुज्ञा धारक की जिम्मेदारी होगी ऐसे न करने पर उपविधि का उल्लंघन माना जायेगा। (***Annexure-B, पशु क्रूरता निवारण सोसायटी***)।

11- प्रत्येक ऐसे श्वान (कुत्ते) जिसका पंजीकरण कराना हो, के (1) लिंग (2) रंग (3) नस्ल (यदि ज्ञात हो) (4) रेबीज टीकाकरण की तिथि की सूचना सहित पशुचिकित्सा अनुभाग, नगर निगम, देहरादून को उसके स्वामी द्वारा निर्धारित माध्यमों पर आवेदन कर प्रेषित करना होगा अथवा नगर निगम की वेबसाईट पर आवेदन करना अनिवार्य होगा।

i. श्वान पशुओं का पंजीकरण दो श्रेणियों में होगा।
   a) घरेलू (नॉन ब्रीडिंग)
   b) ब्रिडिंग श्रेणी

ii. घरेलू श्रेणी के पशुस्वामी को सामान्य श्वानपशु के पंजीकरण/लाईसेंस हेतु रू० पाँच सौ प्रति श्वानपशु तथा पीटबुल (Pitbull) रॉट वीलर (Rottweiler) तथा डोगो अर्जेन्टीनों (Dogo Argentino), अमेरिकैन बुलडॉग (American Bulldog) एवं अन्य (***Annexure-C***) अति आक्रामक श्वानपशुओं हेतु लाईसेंस शुल्क रू0 दो हजार जमा करना होगा। अति आक्रामक श्वानपशुओं के 01 वर्ष की आयु पूर्ण होने के उपरांत उसका ए०बी०सी० सर्जरी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा आवेदन पत्र के साथ श्वान (कुत्ते) को एंटी रेबीज वैक्सीन का टीका लगा होने का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

iii. इच्छुक श्वान प्रेमियों द्वारा निराश्रित श्वानों को गोद लिये जाने हेतु संबंधित नगर निगम में ***प्रारूप-1 के अनुरूप निर्धारित आवेदन पत्र के माध्यम से*** आवेदन किया जायेगा, गोद लिये गये श्वानों को चिन्हित कर उन्हें गोद लेने की विधिवत् अनुमति प्रदान की जायेगी, परन्तु एक बार गोद लिये जाने के उपरांत संबंधित व्यक्ति/संस्था द्वारा गोद लिये गये श्वा नों का परित्याग नहीं किया जायेगा ऐसा तभी सम्भव है जब विधिवत् तरीके से गोद लिये गये श्वान का पंजीकरण गोद लिये गये स्वामी द्वारा कराया जायेगा । ऐसे श्वानों का पंजीकरण नगर निगम द्वारा किया जायेगा तथा नगर निगम के ए.बी.सी. सेण्टर में ए.बी.सी. सर्जरी एवं प्रथम वैक्सीन भी निःशुल्क लगायी जायेगी।

iv. पालतु श्वान स्वामी को लाईसेंस लेने की तिथि से एक वर्ष पूर्ण होने के उपरांत पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन निर्धारित शुल्क (जो भी नगर निगम द्वारा उस वर्ष के लिये निर्धारित किया जायेगा) सहित प्रेषित करना होगा। विलंब से प्रेषित नवीनीकरण प्रार्थना-पत्र पर वेधता तिथि से ***परिशिष्ट-01 के अनुरूप*** प्रतिमाह रू० पाँच सौ विलंब शुल्क देय होगा।

12- पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पालतू पशु दुकान) नियम, 2018: ***(Annexure-D)*** के नियम-03 द्वारा पंजीकरण के बिना पालतू पशु दुकानों के प्रचालन को प्रतिषेधित किया गया है तथा नियम-14 के अनुसार किसी भी पालतू पशु दुकान को स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति तब तक नहीं दी जायेगी, जब तक पालतू पशु दुकान हेतु उत्तराखंड पशु कल्याण बोर्ड से पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त न कर लिया हो।

13- पेट शॉप (पालतू पशु दुकान) हेतु लाईसेंस शुल्क ***परिशिष्ट-01 के अनुरूप*** देय होगा।

14- ब्रिडिंग श्रेणी हेतु लाईसेंस शुल्क तथा ब्रीडिंग फार्म के स्वामी द्वारा ब्रीडिंग फार्म का पंजीकरण हेतु शुल्क ***परिशिष्ट-01 के अनुरूप*** देय होगा। पशु स्वामी को पशु ब्रिडिंग नियमों के पालन का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा व ब्रिड़िग हेतु उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड से प्राप्त रजिस्ट्रीकरण की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

15- प्रत्येक पालतु श्वान (कुत्ते) के पंजीकरण के पश्चात उसके पंजीयन संख्या का टोकन जारी किया जायेगा जो पालतु श्वान के गले में सदैव उपलब्ध रहेगा।

16- किसी भी लाईसेंस के टोकन के खो जाने की दशा में उसके स्वामी की लिखित सूचना पर दूसरा टोकन ***परिशिष्ट-01 के अनुरूप*** रू0 सौ शुल्क लेकर जारी किया जा सकेगा कुत्ते के गले में टोकन ना पाये जाने की स्थिति में श्वान (कुत्ता) लाईसेंस रहित माना जायेगा।

17- देहरादून नगर निगम द्वारा पीटबुल (Pitbull) रॉट वीलर (Rottweiler) तथा डोगो अर्जेन्टीनों (Dogo Argentino), अमेरिकैन बुलडॉग (American Bulldog) एवं अन्य ***(Annexure attached)*** जैसे आक्रामक श्वानों का ब्रीडिंग (Breeding) प्रतिबन्धित किया जाता है। जिस किसी के पास पहले से ये श्वान हैं, वो उन श्वानों का पंजीकरण इस शर्त के आधार पर करायेगें कि वह तीन माह में खरीद प्रमाण-पत्र लेकर निगम में पंजीकरण करवाएं और उनकी नसबंदी इस शर्त के आधार पर कराये कि वे तीन माह में उसका नसबंदी कर प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगें अन्यथा ***परिशिष्ट-02 के अनुरूप,*** चालानी कार्यवाही की जायेगी।

18- पालतु श्वान के किसी को काटे जाने पर शिकायत आने के क्रम में मामूली घाव अथवा गम्भीर घाव के लिये ***परिशिष्ट-02 के अनुरूप*** चालान की कार्यवाही तो अनिवार्य रूप से की जायेगी। साथ ही पालतू श्वान के स्वामी पर पुलिस में एफआईआर दर्ज की जा सकती है और उनका श्वान जब्त किया जा सकता है।

19- पालतु श्वान के किसी को काटे जाने पर शिकायत आने के क्रम में मामूली घाव अथवा गम्भीर घाव के लिये ***परिशिष्ट-02 के अनुरूप*** चालान की कार्यवाही तो अनिवार्य रूप से की जायेगी। साथ ही पालतू श्वान के स्वामी पर पुलिस में एफआईआर दर्ज की जा सकती है और उनका श्वान जब्त किया जा सकता है।

20- पालतु श्वानों के अत्यधिक भौंकने की बार-बार शिकायत आने पर ***परिशिष्ट-02 के अनुरूप,*** चालानी एवं नोटिसी कार्यवाही की जा सकती है। ऐसे अत्यधिक भौंकने वाले श्वानों को (जो असमय जैसे देर रात में अथवा पड़ोसियों के अत्यधिक बीमार होने पर अथवा किसी अन्य बहुत जरूरी कारण से की गई शिकायत के क्रम में) पशु श्वान स्वामी द्वारा समय-समय पर मजल लगाकर रखना होगा।

21- प्रत्येक ऐसा पालतु श्वान (कुत्ता) जो सार्वजनिक स्थल पर बिना गले में टोकन के पाया जायेगा पकड़कर जब्त किया जा सकता है। यदि मालिक संग पाया जाएगा तो ***परिशिष्ट-02 के अनुरूप,*** दण्ड आरोपित किया जाएगा ।

22- नगर निगम/ RWA (रेजीडेंट्स वेलफेयर सोसायटी) आवारा श्वान को खाना खिलाने के लिए फीडिंग पॉइंट/स्थान चिह्नित करेगी ।

I. पशु प्रेमी नगर निगम/RWA (रेजीडेंट्स वेलफेयर सोसायटी) द्वारा स्थापित किए फीडिंग स्थान पर ही आवारा श्वान को खाना खिलाना अनिवार्य होगा. चिह्नित फीडिंग पॉइंट के अलावा खाना खिलाने पर ***परिशिष्ट-02 के अनुरूप,*** दण्ड आरोपित किया जाएगा ।

II. फीड स्पॉट नामित करते समय श्वानों की आबादी और उनके संबंधित क्षेत्रों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पारम्परिक रूप से सहमत स्थान पर होना चाहिए जो बच्चों के खेलने के क्षेत्रों, प्रवेश और निकास बिंदुओं, सीढियों से दूर होंगे तथा स्कूल, धर्मस्थल, वैवाहिक स्थल आदि ऐसे क्षेत्रों से या ऐसे क्षेत्रों में होंगे जहां बच्चों और ज्येष्ठ नागरिकों द्वारा कम में कम बार आने की संभावना हो।

III. बच्चों, ज्येष्ठ नागरिकों, खेलों के लिए आवाजाही के आधार पर भोजन का समय निर्धारित करना, जिसमें बच्चों और ज्येष्ठ नागरिकों द्वारा कम से कम बार आने की संभावना हो।

IV. प्रत्येक भोजन स्थल के समीप स्पष्ट सूचना पट्ट लगाए जाएं।

V. फीडर ये सुनिश्चित करेगा/करेगी की फीडिंग पॉइंट कर कोई गंदगी ना हो । ऐसा होने पर इनके विरुद्ध ***परिशिष्ट-02 के अनुरूप,*** चालानी कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है।

23- श्वानों के काटने अथवा रेबीज की शिकायतों हेतु:-

I. नगर निगम द्वारा 24x7 पशु हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी, जो काटने की घटनाओं अथवा रेबीज की आशंका संबंधी शिकायतों का निस्तारण ABC Rules, 2023 के Rule 16, ***(Annexure attached)*** के अनुसार तथा माननीय न्यायालयों के द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों/दिशा-निर्देशों तथा अन्य विधिवत माध्यमों से प्राप्त सुझावों के आधार पर किया जायेगा।

II. प्रत्येक शिकायत हेतु स्थायी रजिस्टर में केस संख्या सहित निम्न सूचना दर्ज की जाएगी:

* शिकायतकर्ता का नाम व पता
* तिथि एवं समय
* शिकायत का स्वरूप

III. श्वानों द्वारा बार-बार काटने तथा अत्यधिक आक्रामक श्वान की शिकायत प्राप्त होने पर संबधित क्षेत्र के पशुचिकित्सा अधिकारी/मोबाइल वैन के पशुचिकित्सक/एस0पी0सी0ए0 के प्रतिनिधि में से किन्ही दो के द्वारा पुष्टि होने पर ऐसे श्वानों को पकड़कर निगरानी हेतु ए०बी०सी० केंद्र/ डॉग शैल्टर में रखा जाएगा तथा निगरानी का समय समाप्त होने पर यदि श्वान के लक्षण रेबीज के नही होते है तो उसको यथा स्थान पर छोड दिया जायेगा।

IV. यदि रेबीज नहीं है, परंतु अन्य रोग या आक्रामकता हो, तो श्वान AWO (एनिमल वेलफेयर आर्गनाईजेशन) को सौंपा जाएगा, जो उचित उपचार के पश्चात निगरानी/क्वारांटइन पूर्ण होने पर उसे मुक्त करेगा।

V. रेबीज से मृत श्वानों के शवों का Incinerator या पशु चिकित्सक द्वारा निर्देशित विधियों से निस्तारण किया जाएगा।

VI. कोई भी श्वान मालिक अपने पालतू श्वान को घर के अन्दर दिनभर बाँध कर नहीं रखेगा जिससे की पड़ोसी को कोई तकलीफ़ हो और श्वान को भी अनावश क्रूरता/दर्द हो।

VII. प्रत्येक नगर निगम को एबीसी, 2023 ***(Annexure attached)*** के नियम 9 के अनुसार पशु जन्म नियंत्रण निगरानी समिति (ABC Monitoring Committee) का गठन करना होगा।

VIII. नगर निगम द्वारा प्राधिकृत अन्य कोई अधिकारी/कर्मचारी किसी श्वान/कुत्ते के गृह कि उचित देखभाल आदि का निरीक्षण किसी भी दिवस किसी भी समय कर सकता है। पालतू पशु स्वामी को इस निमित्त नगर निगम द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी के आदेशों/सुझावों का पालन करना अनिवार्य होगा।

नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून

कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

पत्रांक:- 304(VA)

दिनाँक 12/12/25

1. सम्पादक **हिन्दुस्तान, दि पाईनिअर, अमर उजाला, दैनिक जागरण, द टाइम्स ऑफ इण्डिया (देहरादून संस्करण)** को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को अपनी व्यवसायिक दरों में **निर्धारित प्रतिशत** छूट देते हुए सामाचार पत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करते हुए बिल भुगतान हेतु दो समाचार पत्र प्रति सहित नगर निगम को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. आई0टी0 अधिकारी को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त सार्वजनिक सूचना नगर निगम, देहरादून की वेबसाईट पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. नगर निगम नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

15/12/25

वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी,
नगर निगम, देहरादून।